

1. TSC / Swajaldhara
2. Committees & nodal officers
- 3.

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल  
// आदेश //

भोपाल ,दिनांक 01 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-19-92/2003/3/1/4: भारत सरकार के ग्रामीण विभाग के पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा दिये गये स्वजलधारा जून, 2003 के दिशा दिश के तहत राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 31जुलाई ,2003 द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य शासन द्वार ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता में स्वजलधारा , सेक्टर रिफार्म पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को मैदानी स्तर पर मूर्तरूप देने हेतु कार्यापालिका समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1  | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल,   | अध्यक्ष   |
| 2  | प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल,   | सदस्यसचिव |
| 3  | सचिव मुख्य मंत्री एवं मिशन समन्वयक राजीव गाँधी मिशन  | सदस्य     |
| 4  | सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग  | सदस्य     |
| 5  | सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत विभाग  | सदस्य     |
| 6  | सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग   | सदस्य     |
| 7  | सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग  | सदस्य     |
| 8  | सचिव मध्यप्रदेश शासन प्राथमिक शिक्षा विभाग   | सदस्य     |
| 9  | सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग   | सदस्य     |
| 10 | सचिव मध्यप्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग   | सदस्य     |
| 11 | सचिव मध्यप्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग  | सदस्य     |
| 12 | सचिव मध्यप्रदेश शासन योजना विभाग   | सदस्य     |
| 13 | परियोजना संचालक स्वजलधारा एवं सेक्टर रिफार्म   | सदस्य     |
| 14 | परियोजना संचालक समग्र स्वच्छता अभियान  | सदस्य     |
| 15 | सलाहकार प्रौद्योगिकी मिशन लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग   | सदस्य     |
| 16 | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  | सदस्य     |
| 17 | मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल,इंदौर,<br>ग्वालियर एवं जबलपुर                         | सदस्य     |
| 18 | विशेषज्ञ(पेयजल,संचार,ग्रामीण विकास , लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता , जन-जागरूकता<br>स्वयं सेवी संस्था)-6 से अधिक नहीं | सदस्य     |

2/ उपरोक्त समिति का कार्य शिखर समिति को सहयोग देना तथा सलाह देना होगा । यह समिति शिखर समिति द्वारा दिये गये कार्यो तथा निर्देशों का पालन तथा क्रियान्वयन करेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता/-  
(सुनीता त्रिपाठी )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कमाक-एफ-19/92/2003/34/1,  
2003

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त ,

प्रतिलिपि :-

- 1- समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण/सदस्य सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 2- प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 3- मुख्य सचिव के उप सचिव मंत्रालय भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, जन सपर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)।

हस्ता/-  
उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभ